न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 52/2016 एफ एस एस ए एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री सत्यनारायण गुप्ता पुत्र श्री रामप्रसाद गुप्ता
मैसर्सः– एस.एस. ट्रेडिंग कम्पनी, सुन्दरदास मार्ग के पीछे, दौसा।
2. श्री सुरेश चन्द खण्डेलवाल
मालिक मैसर्सः–सुरेश एण्ड कम्पनी, सुन्दरदास मार्ग, दौसा।
3. श्री प्रभुलाल पुत्र श्री हरकरण
Prop. M/S Seth Sanwariya Food Products, Near Kala Mata Mandir, Daurai, Ajmer.

– अभियुक्तगण–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जूर्म अन्तर्गत धारा 26 एंफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 लगा0 3 उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक 17 .5.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 25.6.2015 को सायं 06:30 बजे मैसर्स–एस.एस. ट्रेंडिंग कम्पनी, सुन्दरदास मार्ग के पीछे, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विकेता श्री सत्यनारायण गुप्ता पुत्र श्री रामप्रसाद गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहां तो उसने खाद्य पदार्थ का लाइसेन्स न होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विकेता की दुकान में एक कार्टून में 750 एमएल पैकिंग में पैक रिफाईण्ड पाम ऑयल (बिलोनिया) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे, में मिलावट का शक होने पर इनमे से 4 मूल पैकिट X 750 एमएल वजन के नमूने की जांच हेतु खरीदे। जिनकी कीमत 240 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा रिफाईण्ड पाम ऑयल (बिलोनिया) के मूल पैकिट पर चिपकाकर पैकिटो को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर पैकिटो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नम्बर ए.जी.–1125 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा स्वयं द्वारा दिनांक 26.6.2015 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये।

यह है कि नमूने की दो सील बन्द पॉलीपैक व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 26.6.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 29.6.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड पाम ऑयल (बिलोनिया) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1787/एक्ट/2015/530 दिनांक 14.07.2015 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड पाम ऑयल (बिलोनिया) का नमूना मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण सं0 1 लगा0 3 द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण में फर्म को अलग से अभियुक्त नहीं बनाया गया है बिना अभियुक्त बनाये फर्म के मालिक/डायरेक्टर/पार्टनर के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। हमारे द्वारा सील पैक माल खरीदा जाता है व सील पैक ही उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट 14 दिवस में प्राप्त नहीं हुई है। अभियोजन स्वीकृति भी विधि अनुसार जारी नहीं की गई है। उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने में एफएसएस एक्ट 2006 की प्रक्रिया पूर्ण नही की गई है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 52/2016 एफ एस एस ए एक्ट

सं0 एल.एस./एल.एस./1787/एक्ट/2015/530 दिनांक 14.07.2015 के उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड पाम ऑयल (बिलोनिया) का नमूना मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी सं0 1, 2 व 3 द्वारा खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड पाम ऑयल (बिलोनिया) मिसब्राण्ड व सबस्टैंडर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 श्री सत्यनारायण गुप्ता पुत्र श्री रामप्रसाद गुप्ता मैसर्सः– एस.एस. ट्रेडिंग कम्पनी, सुन्दरदास मार्ग के पीछे, दौसा पर 10000/–(अक्षरे दस हजार), अप्रार्थी सं0 2 श्री सुरेश चन्द खण्डेलवाल मालिक मैसर्सः– सुरेश एण्ड कम्पनी, सुन्दरदास मार्ग, दौसा पर 10000/–(अक्षरे दस हजार), एवं अप्रार्थी सं0 3 श्री प्रभूलाल पुत्र श्री हरकरण **Prop. M/S Seth Sanwariya Food Products, Near Kala Mata Mandir, Daurai, Ajmer** पर 20000/–(अक्षरे बीस हजार), शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 17.5.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

कमांक/ 9304-08

दिनांकः– 17.5.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री सत्यनारायण गुप्ता पुत्र श्री रामप्रसाद गुप्ता
   मैसर्सः– एस.एस. ट्रेडिंग कम्पनी, सुन्दरदास मार्ग के पीछे, दौसा।
4. श्री सुरेश चन्द खण्डेलवाल
   मालिक मैसर्सः–सुरेश एण्ड कम्पनी, सुन्दरदास मार्ग, दौसा।
5. श्री प्रभुलाल पुत्र श्री हरकरण
   Prop. M/S Seth Sanwariya Food Products, Near Kala Mata Mandir, Daurai, Ajmer.

(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official